राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
198 / 2024	30.05.2024	03.07.25

उनवानः

1. अंकुश सयाल पुत्र सुशील कुमार सयाल जाति खत्री निवासी मकान नं. जीजी–12, गुडगांव वन अपार्टमेन्ट,मारूति फैक्ट्री के सामने, सैक्ट 22 मोलाहडा गुडगांव हरियाणा।
2. नितन छटवाल पुत्र रामप्रकाश छटवाल जाति खत्री निवासी कृष्णी बंगलो प्लॉट नं. 2 न्यू इण्डिया सिक्योरिटी जे.वी.पी.डी.. स्कीम जूहू नजदीक लोटस टावर बिल्डिंग मुम्बई।

...........वादीगण

बनाम

1. रेखा पुत्री राजेन्द्र जाति खाती निवासी कुतीना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. श्रीमान् लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.......प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक, तकसीम आराजी

उपस्थितिः– श्री पीताम्बर योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 56 रकबा 0.56 है0, 88 रकबा 0.55 है0, 89 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम बटाना तह0 नीमराना मे स्थित है उक्त खसरा नम्बरान के 13 / 20 हिस्से का खातेदार वादी सं0 1 तथा वादी सं0 2 हिस्सा–1 / 3 का तथा प्रतिवादनी सं0 1 का 1 / 60 हिस्सा की खातेदारी हाल रिकार्ड मे दर्ज है। जो आराजी विना बटी हुई सहखातेदारी की आराजी है, इसलिए आराजी मुतनाजा के प्रत्येक इंच इंच पर प्रत्येक खातेदार के हक व अधिकार निहित है। आराजी मुतनाजा का विना विधिवत रूप से तकासमा करवाये, किसी भी खातेदार को आराजी मुतनाजा के किसी भी विशेष भू–भाग या विशेष खसरा नम्बर को अपना बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करने का कोई हक व अधिकार नही होता है। लेकिन प्रतिवादनी सं0 1 आराजी मुतनाजा का बिना विधिवत रूप से तकासमा करवाये ही अच्छी से अच्छी आराजी जो अधिक उपजाउ व अधिक कीमत वाली है उसे अपनी बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करना चाहती है। इसलिए अब आराजी मुतनाजा सामूहिक रूप से काश्त किया जाना सम्भव नही होने के कारण आराजी मुतनाजा पर कुर्रे कायम किये जाकर, कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर वादी सं0 1 के 13 / 20 हिस्सा का व वादी सं0 2 के 1 / 3 हिस्से का अलग से तकासमा किया जावे तथा प्रतिवादी स0 1 को मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा–1 / 60 काअलग से तकासमा किया जाकर अलग–अलग खाताबन्दी किया जाने एवं प्रतिवादनी सं0 1 को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की गई ।

वाद वादीगण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये । प्रतिवादी सं0 1 बावजूद तामिल न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। वकील वादीगण के निवेदन पर वकील वादीगण को एक पक्षीय सुना गया। वकील वादीगण द्वारा वादीगण के वाद पत्र को प्रारम्भिक रूप से डिक्री फरमाया जाकर तहसीलदार नीमराना से कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाकर आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से विभाजनकरने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

हमने पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन करने के पश्चात दावा मे वर्णित खसरा नम्बर 56, 88, 89 वाके ग्राम बटाना तह0 नीमराना संलग्न जमाबन्दी के मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादनी सं0 1 की सहखातेदारी मे दर्ज है। जिन खसरा नम्बरान का विभाजन, कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाने के बाद किया जाना न्याय संगत प्रतीत होने पर, न्याय हित मे वादीगण के वाद पत्र को दिनांक 02.06.2025 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नीमराना को आदेशित किया गया कि उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो संबंधि राजस्व भाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2024 को दृष्टिगत रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय मे भिजवाई जावे।

तहसीलदार नीमराना द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02.06.2025 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्बर 56 रकबा 0.56 है0, 88 रकबा 0.55 है0, 89 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम बटाना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 18.06.2025 को इस न्यायालय मे पेश की गई । वकील वादीगण उपस्थित, तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिर्पोट के आधार पर वादी का वाद डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 18.06.2025 के मुताबिक डिक्री किया जाता है कि :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1. म. 2.	अंकुश स्याल पुत्र सुशील कुमार स्याल हि0–10465 / 15832 जाति खत्री निवासी नं. जी.जी.–12 गुड़गांवा हरि0 खातेदार आयुषी वघेरा पत्नी समर्थ वघेरा हि0– 5367 / 15832 जाति खत्री निवासी ए 142 वेस्टेड हाईट्स विभाग 53 डी.एल.एफ फेस 5 डी.एल.एफ 4 गैलरिया डी.एल.एफ 4 गुड़गांवा हरियाणा–122009 खातेदार	56 88 / 1 89 / 1	0.56 0.5366 0.4866
		कुल किता–3 रकबा 1.5832 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1.	रेखा पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति खाती हि0 सम्पूर्ण सा0 कुतीना खातेदार	88 / 2 89 / 2	0.0134 0.0134
		कुल किता–2 रकबा 0.0268 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 03/7/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
198/2024	30.05.2024	

उनवान:

1. अंकुश सायाल पुत्र सुशील कुमार सायाल जाति खत्री निवासी मकान नं. जीजी–12, गुडगांव वन अपार्टमेन्ट,मारूति फैक्ट्री के सामने, सैक्ट 22 मोलाहेडा गुडगांव हरियाणा।
2. नितन छटवाल पुत्र रामप्रकाश छटवाल जाति खत्री निवासी कृष्णी बंगलो प्लॉट नं. 2 न्यू इण्डिया सिक्योरिटी जे.वी.पी.डी.. स्कीम जूहू नजदीक लोटस टावर बिल्डिंग मुम्बई।

...........वादीगण

बनाम

1. रेखा पुत्री राजेन्द्र जाति खाती निवासी कुतीना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. श्रीमान् लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.......प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक, तकसीम आराजी

उपस्थितिः– श्री पीताम्बर योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 18.06.2025 के मुताबिक डिक्री किया जाता है कि :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1. म. 2.	अंकुश स्याल पुत्र सुशील कुमार स्याल हि0–10465/15832 जाति खत्री निवासी नं. जी.जी.–12 गुड़गांवा हरि0 खातेदार आयुषी वधेरा पत्नी समर्थ वधेरा हि0– 5367/15832 जाति खत्री निवासी ए 142 वेस्टेड हाईट्स विभाग 53 डी.एल.एफ फेस 5 डी.एल.एफ 4 गैलरिया डी.एल.एफ 4 गुड़गांवा हरियाणा–122009 खातेदार	56 88/1 89/1	0.56 0.5366 0.4866
		कुल किता–3 रकबा 1.5832 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1.	रेखा पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति खाती हि0 सम्पूर्ण सा0 कुतीना खातेदार	88/2 89/2	0.0134 0.0134
		कुल किता–2 रकबा 0.0268 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)